<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 477/2023

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

01-बलराम पुत्र धन्नालाल मेघवाल निवासी टोडी मोहल्ला अकलेरा,

02-नरेन्द्र ढोडरिया पुत्र हरिबल्लभ मालव निवासी पुरानी तहसील के पास छिपाबड़ौद, जिला बांरा(राज.)

अभियुक्तगण...

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 420,406,467,468,471,120B भारतीय दण्ड संहिता</u>

<u>उपस्थितः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री विनोद जैन, भूपेन्द्र कुमार वर्मा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त बलराम की ओर से।

3. श्री रामनारायण लववंशी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त नरेन्द्र की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 17-04-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,406,467,468,471,120B का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 09-05-2023 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादी श्री रामचरण ने एक इस्तगासा न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वह कस्बा अकलेरा का निवासी है। उसने दिनांक 29.03.2017 को इकरारनामा के खसरा नं. 55, 56 मालिक सुदर्शन पुत्र अमरलाल, निवासी अकलेरा से दो प्लाट नं. 36, 37 कीमत 1 लाख-1 लाख साईज 25 गुणा 65, 25 गुणा 65 के खरीदे थे। रकम यह प्लाट राजलक्ष्मी नगर अकलेरा में स्थित है जिसकी सम्पूर्ण राशि दोनों प्लाट कीमत दो लाख रूपये विक्रेता सुदर्शन को अदा कर प्लाट बेचान नामा व इकरारनामा शपथ पत्र आलेखित कर सुदर्शन ने मौके पर कब्जा उसको संभला दिया था तभी से वह उक्त प्लाट का मालिक, स्वामी तथा काबिज चला आ रहा है। नगरपालिका अकलेरा द्वारा दिनांक 25.11.2021 को विज्ञप्ति क्रमांक न.पा. अ./2021/1863 उक्त प्लाट के पट्टे जारी करने हेतु आपत्ति स्वरूप नोटिस अखबार मे साया करवाया था जिसमें प्लाट नं. 37 का पट्टा जारी करने हेतु नोटिस खरीददार बलराम पुत्र धन्नालाल, निवासी अकलेरा के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। जानकारी होने पर उसने नगरपालिका अकलेरा मे जाकर आपत्ति की थी, यह इकरारनामा फर्जी है जो बनावटी व जालसाजी करके विक्रय पत्र आलेखित किया है तब नगरपालिका अकलेरा ने पट्टा बनाया जाने पर रोक लगायी

गई। अप्रार्थी बलराम द्वारा नगरपालिका अकलेरा में पेश प्लाट का इकरारनामा दिनांक 13.11.2015 अंकित है जिस पर स्टाम्प जारी क्रमांक 2802 दिनांक 09.10.2015 जिस स्टाम्प के पीछे सुदर्शन पिता अमरलाल, निवासी अकलेरा के नाम से जारी हस्ते बलराम अंकित है। उक्त स्टाम्प शपथ पत्र लिखवाने हेतु जारी किया उक्त स्टाम्प की सुचना के अधिकार के तहत उप पंजीयन प्रथम कोटा से जानककारी ली तो उन्होने लिखित सूचना स्टाम्प जारी कमांक 2802 स्टाम्प वेन्डर नरेन्द्र कुमार टोडारिया विक्रय स्थान दीगोद खालसा, पुरानी तहसील के पास छीपाबडोद जिला बांरा के यहां से खरीदा उन्होंने लिखित सूचना दी व रजिस्टर में दर्ज स्टाम्प संख्या 2802 कालीबाई पति प्रेमचन्द, निवासी मोतीपुरा के नाम से जारी किया गया है जो स्टाम्प 10 की कीमत का है। सूचना के अधिकार से प्राप्त सुचना अवलोकनार्थ पेश है। मुलजिम बलराम द्वारा उक्त स्टाम्प पर फर्जीवाडा कर इकरारनामा तैयार कराया है उक्त बेचाननामे पर सुदर्शन के हस्ताक्षर भी फर्जी है। उक्त दस्तावेज इकरारनमा कूटरचित है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लाटों को हड़पने के उद्येश्य से नगर पालिका अकलेरा में फर्जी दस्तावेजात के आधार पर पट्टा बनावाने हेतु आवेदन किया है। मुलजिम ने जान बूझकर प्रार्थी से प्लाट हडपने के उद्येश्य से प्लाट मका विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.11.2015 फर्जी तैयार करवाकर उसे पट्टा बनवाने हेतु नगर पालिका अकलेरा मे पेश किया उक्त इकरारनामे के आधार पर प्रार्थी को नुकसान पंहुचाने व स्वयं को लाभान्वित करने हेतु कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे उपयोग मे लिया है जो अपराध है।,इत्यादि।

03- उपरोक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना अकलेरा को प्राप्त हुआ जिस पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 305/2022, अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्तगण को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 सुरेन्द्र, पी.डब्ल्यू. 02 निरंजन कुमार, पी.डब्ल्यू. 03 दिनेश शर्मा, पी.डब्ल्यू. 04 अनिल, पी.डब्ल्यू. 05 नासिर पठान, पी.डब्ल्यू. 06 रमेशचंद, पी.डब्ल्यू. 07 अनिल, पी.डब्ल्यू. 08 अनुप कुमार, पी.डब्ल्यू. 09 मुकेश पारेता, पी.डब्ल्यू. 10 नईम खान, पी.डब्ल्यू. 11 चेतराम, पी.डब्ल्यू. 12 गजेसिंह को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 22 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व

स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित घटना के चश्मदीद साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य में घटना की ताईद नहीं की है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्तगण ने दिनांक 29-03-2017 को किसी समय मौजा अकलेरा में आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में फरियादी रामचरण के साथ छल करने के आशय से खसरा नंबर 55, 56 मालिक सुदर्शन से दो प्लॉट नं. 36, 37 का दो लाख रूपए में बेचान कर बनावटी व जालसाजी करके फर्जी इकरारनामा तैयार कर फरियादी से बेईमानीपूर्वक आशय से प्रवंचित कर छल कारित किया व फरियादी रामचरण द्वारा प्लॉट की खरीद के लिए दी गई राशि दो लाख रूपए जो आपके पास न्यस्त थी, को परिवादी को वापिस नहीं लौटाई तथा उसको अपने उपयोग में लेकर विधि की संविदा का उल्लंघन कर आपराधिक न्यासभंग का कृत्य कारित किया व प्लॉट के स्टाम्प पर फर्जीवाड़ा कर इकरारनामा व बेचाननामा तैयार कराया तथा बेचाननामे पर सुदर्शन के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर कूटरचना कारित की जो कि एक मूल्यावान प्रतिभूति थी व प्लॉट के इकरारनामा व बेचाननामे पर फर्जीवाड़े से दस्तावेज तैयार कर छल करने के प्रयोजन से कूटरचना कारित की व उपरोक्त दस्तावेजों की कूटरचित होने का विश्वास रखने का कारण रखते हुए व कूटरचित होना जानते हुए कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में भुगतान प्राप्त किया व फरियादी रामचरण के साथ छल एवं आपराधिक न्यासभंग किए जाने के आशय से आपराधिक षडयंत्र की रचना की। इस प्रकार क्या अभियुक्तगण ने धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रामचरण द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा प्रदर्श पी. 14 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि वह कस्बा अकलेरा का निवासी है। उसने दिनांक 29.03.2017 को इकरारनामा के खसरा नं. 55, 56 मालिक सुदर्शन पुत्र अमरलाल, निवासी अकलेरा से दो प्लाट नं. 36, 37 कीमत 1 लाख-1 लाख साईज 25 गुणा 65, 25 गुणा 65 के खरीदे थे। रकम यह प्लाट राजलक्ष्मी नगर अकलेरा में स्थित है जिसकी सम्पूर्ण राशि दोनों प्लाट कीमत दो लाख रूपये विक्रेता सुदर्शन को अदा कर प्लाट बेचान नामा व इकरारनामा शपथ पत्र आलेखित कर सुदर्शन ने मौके पर कब्जा उसको संभला दिया था तभी से वह उक्त प्लाट का मालिक, स्वामी तथा काबिज चला आ रहा है। नगरपालिका अकलेरा द्वारा दिनांक 25.11.2021 को विज्ञप्ति क्रमांक न.पा. अ./2021/1863 उक्त प्लाट के पट्टे जारी करने हेतु आपत्ति स्वरूप नोटिस अखबार मे साया करवाया था जिसमें प्लाट नं. 37 का पट्टा जारी करने हेतु नोटिस खरीददार बलराम पुत्र धन्नालाल, निवासी अकलेरा के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की थी। जानकारी होने पर उसने नगरपालिका अकलेरा मे जाकर आपत्ति की थी, यह इकरारनामा फर्जी है जो बनावटी व जालसाजी करके विक्रय पत्र आलेखित किया है तब नगरपालिका अकलेरा ने पट्टा बनाया जाने पर रोक लगायी गई। अप्रार्थी बलराम द्वारा नगरपालिका अकलेरा में पेश प्लाट का इकरारनामा दिनांक 13.11.2015 अंकित है जिस पर स्टाम्प जारी क्रमांक 2802 दिनांक 09.10.2015 जिस स्टाम्प के पीछे सुदर्शन पिता अमरलाल, निवासी अकलेरा के नाम से जारी हस्ते बलराम अंकित है। उक्त स्टाम्प शपथ पत्र लिखवाने हेतु जारी किया उक्त स्टाम्प की सुचना के अधिकार के तहत उप पंजीयन प्रथम कोटा से जानककारी ली तो उन्होने लिखित सूचना स्टाम्प जारी कमांक 2802 स्टाम्प वेन्डर नरेन्द्र कुमार टोडारिया विक्रय स्थान दीगोद खालसा, पुरानी तहसील के पास छीपाबडोद जिला बांरा के यहां से खरीदा उन्होंने लिखित सूचना दी व रजिस्टर में दर्ज स्टाम्प संख्या 2802 कालीबाई पति प्रेमचन्द, निवासी मोतीपुरा के नाम से जारी किया गया है जो स्टाम्प 10 की कीमत का है। सूचना के अधिकार से प्राप्त सुचना अवलोकनार्थ पेश है। मुलजिम बलराम द्वारा उक्त स्टाम्प पर फर्जीवाडा कर इकरारनामा तैयार कराया है उक्त बेचाननामे पर सुदर्शन के हस्ताक्षर भी फर्जी है। उक्त दस्तावेज इकरारनमा कूटरचित है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लाटों को हड़पने के उद्येश्य से नगर पालिका अकलेरा में फर्जी दस्तावेजात के आधार पर पट्टा बनावाने हेतु आवेदन किया है। मुलजिम ने जान बूझकर प्रार्थी से प्लाट हडपने के उद्येश्य से प्लाट मका विक्रय इकरारनामा दिनांक 13.11.2015 फर्जी तैयार करवाकर उसे पट्टा बनवाने हेतु नगर पालिका अकलेरा मे पेश किया उक्त इकरारनामे के आधार पर प्रार्थी को नुकसान पंहुचाने व स्वयं को लाभान्वित करने हेतु कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसे उपयोग मे लिया है जो अपराध है।,इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाह परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से गवाह पी.डब्ल्यू. 01 सुरेन्द्र है जो कि फर्द जप्ती असल दस्तावेज प्रदर्श पी. 01 एवं

असल पट्टा फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 02 का गवाह है। गवाह पी.डब्ल्यू. 09 मुकेश है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 8 साल पहले राजलक्ष्मी नगर अकलेरा के खसरा नंबर 55 व 56 के मालिक सुदर्शन थे। सुदर्शन से दो प्लॉट 36 व 37 एक-एक लाख रूपए में उसके पिताजी रामचरण पारेता ने खरीदे थे जिसका बेचाननामा न इकरारनामा पर शपथ पत्र उसके व संदीप पारेता के सामने लिखवाए थे। वर्ष 2021 में नगरपालिका अकलेरा से विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें प्लॉट के पट्टे जारी करने हेतु अखबार में नोटिस निकला था जिसमें प्लॉट नंबर 37 का पट्टा जारी करने के लिए बलराम के पक्ष में विज्ञप्ति जारी की थी जिसकी जानकारी उसके पिताजी को होने पर नगरपालिका में आकर आपत्ति दर्ज कराई थी। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि बलराम, सुरेन्द्र के यहां काम करता था। किस नंबर का स्टाम्प जारी हुआ था, उसका नंबर आज उसे याद नहीं है। 37 नंबर का प्लॉट पूर्व में बलराम ने खरीद लिया हो तो वह इस बारे में नहीं बता सकता उन्हें तो अखबार में विज्ञप्ति के आधार पर मालूम चला था। पूर्व में बलराम ने सुदर्शन से यह प्लॉट खरीदा और सुदर्शन ने उन्हें बाद में दिया हो तो इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 निरंजन कुमार है, जो कि वक्त घटना नगरपालिका अकलेरा में लिपिक के पद पर कार्यरत था जिसके समक्ष बलराम के पट्टा आवेदन संबंधी प्रार्थना पत्र दस्तावेज जप्त किए थे जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 03 है। उक्त गवाह आफिशियली आर्डरशीट प्रदर्श पी. 04, बलराम का प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 05, पट्टा बनवाने का आवेदन प्रदर्श पी. 06, बेचान इकरारनामा प्रदर्श पी. 07, नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 08, बलराम का शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बाबत बंधपत्र क्रमशः प्रदर्श पी. 09 व पी. 10 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि कितनी बजे दस्तावेज जप्त किए थे, उसे समय याद नहीं है। दस्तावेज दिनेश के सामने जप्त किए थे। आवेदन पर कौनसी दिनांक अंकित थी, उसे ध्यान नहीं है। कौनसा खसरा नंबर कौनसे प्लॉट के थे, उसे ध्यान नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 दिनेश शर्मा है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि दस्तावेज उसके सामने जप्त किए थे। कितनी बजे दस्तावेज जप्त किए थे, उसे ध्यान नहीं है। आवेदन पर कौनसी दिनांक अंकित थी एवं कितने रूपए का स्टाम्प था और कौनसा खसरा नंबर कौनसे प्लॉट के थे, इस बारे में उसे ध्यान नहीं है।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 04 अनिल व गवाह पी.डब्ल्यू. 12 गजेसिंह है जो कि मुल्जिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 12 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि मुल्जिम स्वयं ही चलकर थाने पर आया था जिसे थाने से ही गिरफ्तार किया था। मुल्जिम ने कौनसे कलर के कपड़े पहन रखे थे, उसे ध्यान नहीं है। गिरफ्तारी के समय उक्त दोनों ही गवाहान मौजूद थे वहां और कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 चेतराम है जो कि मुल्जिम नरेन्द्र कुमार की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 19 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि नरेन्द्र कुमार के पास स्टाम्प बेचने का लाईसेंस हो तो उसे पता नहीं है। वह यह नहीं बता सकता कि जप्तशुदा स्टाम्प प्रदर्श पी. 07 किसने क्रय किया था। गवाह पी.डब्ल्यू. 10 नईम खान है जिसके द्वारा प्रकरण में मुकदमा नंबर

305/2022 धारा 420, 407, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान रमेशचंद एएसआई को सुपुर्द किया था।

15- गवाह पी.डब्ल्यू. 07 अनिल व पी.डब्ल्यू. 08 अनुप कुमार है जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि तीन साल पहले पुलिस ने उन्हें एक स्टाम्प संख्या 076958 दिखाया था जिस नर उनके गवाह के रूप में कोई हस्ताक्षर नहीं थे। स्टाम्प उनकी जानकारी में नहीं आया था। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि बलराम मेघवाल ने सुदर्शन के मरने के बाद सुदर्शन के नाम पर स्टाम्प क्रय कर प्लॉट नंबर 37 की फर्जी लिखापढ़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किया हो तो उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके गवाह के रूप में स्टाम्प पर कोई साईन नहीं करवाए। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 नासिर पठान है जो कि पट्टा आवेदन दिनांक 22.11.2021 की फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 13 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उसके तो खाली साईन कराए थे किस बात के साईन कराए थे, उसे ध्यान नहीं है, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने कोई स्टाम्प जप्त नहीं किया।

16- गवाह पी.डब्ल्यू. 06 रमेशचंद है जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि फरियादी रामचरण थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया था, माननीय न्यायालय से परिवाद पेश हुआ था। नगरपालिका में किसी के बयान नहीं लिए, वहां से केवल रिकॉर्ड लिया था। रजिस्ट्रार के यहां से स्टाम्प जारी होने के रिकॉर्ड फरियादी लाया था, उसके लिए वह नहीं गया था। जो दूसरा स्टाम्प बलराम द्वारा जारी करवाया गया था वो किस नंबर का था, वह नहीं बता सकता। अगर सुदर्शन मेघवाल द्वारा पूर्व में प्लॉट बलराम को बेचान किया हो तो, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

17. इस प्रकार किसी भी गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं हो पाई है। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जो भी दस्तावेज प्रकरण से संबंधित जप्त किए गए है। उनसे संबंधित सभी गवाहों ने कथन किया है कि उनके सामने कोई स्टाम्प जप्त नहीं किया। दस्तावेज कब, कौनसे दिनांक एवं कौनसे तारीख को जप्त किए थे, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 07 अनिल एवं पी.डब्ल्यू. 08 अनुप कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि अगर स्टाम्प क्रय कर प्लॉट नंबर 37 की फर्जी लिखापढ़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हो तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 चेतराम ने भी स्पष्ट कथन किया है कि जप्तशुदा स्टाम्प प्रदर्श पी. 07 किसने क्रय किया था, उसे पता नहीं है। फरियादी के पुत्र पी.डब्ल्यू. 09 मुकेश ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि किस तरह का स्टाम्प जारी हुआ था, उसका नंबर उसे याद नहीं है। उक्त गवाह ने भी इस बारे में जानकारी होने से इंकार किया है कि 37 नंबर का प्लॉट पूर्व में बलराम ने खरीद लिया हो, उन्हें तो अखबार में विज्ञप्ति के आधार पर पता चला था। दस्तावेजों की जप्ती से संबंधित गवाहों ने किसी भी दस्तोवज की जप्ती उनके समक्ष होना या उन्हें मालूम होना ताईद नहीं किया है। ऐसा कोई तथ्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 सुरेन्द्र के न्यायालय बयानों से उजागर नहीं हुआ है जिससे यह साबित होता हो कि मुल्जिमान द्वारा अपराध किया जाना साबित होता

हो। अन्य मुल्जिम नरेन्द्र के संबंध में भी किसी भी गवाहान द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। फरियादी रामचरण को न्यायालय द्वारा काफी समय से तलब किया गया। अभियोजन अधिकारी को भी उक्त गवाह को बुलाने हेतु बार-बार मौके दिए गए परंतु उक्त गवाह न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया जिससे कि उक्त गवाह की तल्बी न्यायहित में न्यायालय द्वारा बंद कर दी गई। अभियोजन द्वारा फरियादी को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाए जाने से अभियोजन कहानी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिमान द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हुआ है।

18- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 29-03-2017 को किसी समय मौजा अकलेरा में आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में फरियादी रामचरण के साथ छल करने के आशय से खसरा नंबर 55, 56 मालिक सुदर्शन से दो प्लॉट नं. 36, 37 का दो लाख रूपए में बेचान कर बनावटी व जालसाजी करके फर्जी इकरारनामा तैयार कर फरियादी से बेईमानीपूर्वक आशय से प्रवंचित कर छल कारित किया व फरियादी रामचरण द्वारा प्लॉट की खरीद के लिए दी गई राशि दो लाख रूपए जो आपके पास न्यस्त थी, को परिवादी को वापिस नहीं लौटाई तथा उसको अपने उपयोग में लेकर विधि की संविदा का उल्लंघन कर आपराधिक न्यासभंग का कृत्य कारित किया व प्लॉट के स्टाम्प पर फर्जीवाड़ा कर इकरारनामा व बेचाननामा तैयार कराया तथा बेचाननामे पर सुदर्शन के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर कूटरचना कारित की जो कि एक मूल्यावान प्रतिभूति थी व प्लॉट के इकरारनामा व बेचाननामे पर फर्जीवाड़े से दस्तावेज तैयार कर छल करने के प्रयोजन से कूटरचना कारित की व उपरोक्त दस्तावेजों की कूटरचित होने का विश्वास रखने का कारण रखते हुए व कूटरचित होना जानते हुए कपटपूर्वक बेईमानी से असली के रूप में भुगतान प्राप्त किया व फरियादी रामचरण के साथ छल एवं आपराधिक न्यासभंग किए जाने के आशय से आपराधिक षडयंत्र की रचना की। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

19- अतः अभियुक्तगण 01-बलराम पुत्र धन्नालाल मेघवाल निवासी टोडी मोहल्ला अकलेरा, 02-नरेन्द्र ढोडरिया पुत्र हरिबल्लभ मालव निवासी पुरानी तहसील के पास छिपाबड़ौद, जिला बांरा(राज.) को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20- अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत्

10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

21- निर्णय आज दिनांक 17-04-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

<u>प्रमाण पत्र</u>

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(राजाराम मीना)
आशुलिपिक ग्रेड ।।।

नोटः-यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

po

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.09 14:34:02 IST